भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2774

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम

2774. श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) कार्यक्रम के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ख) भूमि सर्वेक्षणों में ड्रोन और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) रोवर्स के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों को अद्यतन भूमि रिकॉर्ड करने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण (एनएकेएसएचए) कार्यक्रम, देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पायलट चरण सफलतापूर्वक शुरू किया गया है और इसे 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 152 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जा रहा है और इसे एक वर्ष की अवधि में पूरा करने की योजना है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय और तकनीकी बुनियादी ढांचे

की तैयारी के अध्यधीन, पायलट चरण के पूरा होने और इसके परिणामों के बाद पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन की योजना बनाई जाएगी।

(ख) ड्रोन और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) रोवर्स के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपायों को लागू किया जा रहा है:

i. सर्वेक्षण सटीकता को बढ़ाने के लिए रीयल-टाइम काइनेमैटिक (आरटीके) और पोस्ट-प्रोसेसिंग काइनेमैटिक (पीपीके) तकनीकों सहित उच्च-सटीक भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग।
ii. डेटा संग्रह और सत्यापन के मानकीकरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एनएसडीआई) दिशानिर्देशों का अनुपालन।
iii. अनधिकृत पहुंच को रोकने और डेटा इंटेग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज प्रोटोकॉल। डेटा का आकलन केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।
iv. एनआईसी/एनआईसीएसआई, मेघराज 2.0 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्लाउड सेवा प्रदाता है जिसमें डेटा सेंटर और डिज़ास्टर रिकवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान है।
v. विसंगतियों को कम करने के लिए मौजूदा भूमि अभिलेखों के साथ एकत्र किए गए डेटा का नियमित सत्यापन और क्रॉस-सत्यापन।

(ग) सरकार, सोशल मिडिया, डिजिटल प्लेटफार्मों, प्रिंट मीडिया और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों, डिजटलीकृत भूमि अभिलेखों के लाभों के बारे में नागरिकों का मार्गदर्शन करने हेतु स्थानीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता अभियानों सहित, नक्शा कार्यक्रम के तहत नागरिकों को अद्यतन भूमि रिकॉर्ड और उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। 18 फरवरी 2025 को नक्शा के देशव्यापी शुभारंभ के हिस्से के रूप में, सभी हितधारकों अर्थात, डीओएलआर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व और शहरी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अन्य पक्ष एजेंसियां (हवाई सर्वेक्षण के लिए चयनित), जिला प्रशासन, सार्वजनिक प्रतिनिधि, स्थानीय जनता आदि की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर के अधिकांश पायलट यूएलबी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

*****